



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13137

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 477 सन् 2026

बृजेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, शशांक त्रिपाठी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डी.के. त्रिपाठी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय राकेश कुमार, को 17.11.1998 को मौसमी संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपनी नियुक्ति की तिथि से 28.12.2016 तक निरंतर कार्य किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनका निधन 01.01.2025 को हुआ। याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति की मांग करता है। वह **पवन कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में 2011 (1) एडब्ल्यूसी, 1028 और **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कुलदीप ठाकुर** के मामले में 2017 (35) एलसीडी पृष्ठ 696 पर दिए गए निर्णयों पर भरोसा करना चाहता है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा किया जाना चाहिए।
4. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रति प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे।
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रत्यर्थी उक्त प्रत्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

20 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।